न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 91/2024 **अनवान** रतनलाल बनाम रामूराम वगैरा

दिनांक 09.04.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाडमेर) द्वारा आवेदन सं0 17/2022 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0प0 मय भा0प0 स्वीकार कर गुणावगुण पर परीक्षण किया गया। उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 की ओर से केवियटर अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता का मुख्यतः कथन यह है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील धोरीमन्ना के ग्राम झाकरड़ा स्थित प्रार्थी–रेस्पो0 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख0नं0 65 की नेखमबंदी का आवेदन स्वीकार कर धारा 111 में विहित प्रक्रिया के तहत तहसीलदार धोरीमन्ना को सीमा विवाद निस्तारण का आदेश दिया गया। जबकि प्रकरण में अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1 को सम्यक रूप नोटिस तामिल करवाये बिना उनकी तरफ से अधिवक्ता की अन्डर टेकिंग लेकर एकतरफा कार्यवाही कर दी गई व उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई सूचना नही दी गई। अपीलार्थी व रेस्पो0 के खसरान के मध्य पक्की माठ कायम है। रेस्पो0 पत्थरगढी की आड में कब्जे में परिवर्तन करना चाहते है जबकि बिना तरमीम के पत्थरगढी व नेखमबंदी नही की जा सकती है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किंया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1–केवियटर अधिवक्ता का मुख्यतः कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट–विप्रार्थीगण को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया है, इनके द्वारा जवाब नही दिया गया। अपील लम्बे अंतराल से प्रस्तुत कर इस मामले को जानबूझ कर लम्बा करना चाहते। अतः अपील खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 1.12.22 के अनुसार अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1 की अन्डरटेकिंग 4 माह से अधिक इंतजार बाद खारिज की गई व आदेशिका दिनांक 8.12.22 के अनुसार विप्रार्थीगण को अनुपस्थित मानते हुए इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। वर्तमान अपील की सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने की मंशा व्यक्त की गई।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आगामी 02 माह में पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 09..04.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

अजीत

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर